न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

19 / 2022

कमाल हुसैनपुत्र नजर मोहम्मद निवासी तालकटोरा सोहराब खॉं की हवेली, टोंकराज0

बनाम

---अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक जिला-टोंक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.07.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला-टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30-08-2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

खसरा नं. 6537 रकवा 5 बीघा 9 बिस्वा को पूर्व जमाबंदी में 1/3 के हिसाब से बाटा गया है (शर्की टोंक) निम्न सुचना देवे-

1 अफजल हुसैन पुत्र भुंदु खां हिस्सा 5/24 कुल रकवा 5 बीघा 9 बिस्वा में से कितना बीघा व कितना बिस्सा हुआ लिखित प्रपत्र पर सुचना देवे

2 अनवर जहां पुत्री भुंदु खां हिस्सा 1/6 कुल रकवा 5 बीघा 9 बिस्वा में से कितना बीघा या बिस्सा हुआ लिखित विवरण देवे

3 ताहिरून्निसा पुत्री रहमत खां हिस्सा 1/9 कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा में से 1/9 कितना बीघा व कितना बिस्सा हुआ लिखित विवरण देवे

4 मजिद पुत्र माता हमीदा हिस्सा 1/96 कुल रकवा 5 बीघा 9 बिस्वा में से हिस्सा 1/9 कितना बीघा व कितना बिस्सा हुआ लिखित विवरण देवे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला-टोंक को पत्र क्रिमांक 605 दिनांक 8-6-2022 व 636 दिनांक 17.06.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू.अ.) टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 8191 दिनांक 14-06-2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में उनके पत्र क्रमांकः 9901 दिनांक 12-11-2021 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (22)प्रसु/ सु.अ.प्र./ 06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के अनुसार सूचना का अधिकार अ[illegible] के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सू[illegible] [illegible] [illegible] कर[illegible] आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना [illegible] काल्पनिक [illegible] का उत्तर देना अपेक्षित नही है। जिसकी [illegible] जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:27:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:27:40 IST
Reason: SelfAttested